तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 88/2019 फूसीदेवी बनाम मदनलाल आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.08.2020	प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुईं। प्रार्थी–अप्रार्थीगण एवं वकील उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीया के नाम से तहसील लूनकरनसर के ग्राम चक 354 – 800 आर.डी. के खाता संख्या 37 मु.नं. 139/39 एवं मु.नं. 139/40 व मु.नं. 140/33 में कुल तादादी 27 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में विधिवत् दर्ज हैं ।अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इसी चक के खाता संख्या के मु.नं. 139/40 व मु.नं. 139/48 में कुल तादादी 24 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 21.06.2020 को पेश हुवा वर्तमान में प्रकरण स्टेट जवाब में विचाराधीन हैं। वर्तमान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 में आपसी सहमति से रास्ता प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से चक 354 –800 आर.डी. के मु.नं. 140/33 में 1 ता 9 में 9 बीघा अनकमाण्ड व मु. नं. 139/40 के किला नम्बर 8,9,16,17,24,25 की 6 बीघा कमाण्ड/अनकमाझड कुल तादादी 15 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि स्थिति हैं। एवं अप्रार्थी के नाम से मु.नं.139/40 के किला नम्बर 2 ता7, 14,15 में 8 बीघा व मुनं. 139/48 के किला नम्बर 1 ता 13, 19ता 21 की 16 बीघा कुल 24 बीघा कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि स्थित हैं। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी से मु.नं. 139/40 के किला नम्बर 5,6,15 में से रास्ते का आवेदन किया गया था । प्रार्थीयां व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य मु.नं. 139/48 के किला नम्बर 1 मे से प्रवेश होते हुए मु.नं. 139/40 के किला नम्बर 3,4,5 में से 01–01 बिस्वा रास्ता देने की सहमति बनी है उक्त रास्ते के बदले प्रार्थयां अपनी भूमि के मु.नं. 139/40 के किला नम्बर 8 में 1 बिस्वा एवं किला नम्बर 9 मे 2 बिस्वा कुल 3 बिस्वा भूमि बदले में देने की सहमति बनी हैं। उक्त रास्ता मु.नं. 139/40 में किला नम्बर 4,5 के उत्तर दिशा में व किला नम्बर 3 में पूर्व दिशा में किला नम्बर 8 में प्रवेश करेगा का प्रार्थना–पत्र उभय पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित जिसकी तस्दीक उभय पक्ष वकील द्वारा की गई पेश हुआ। उभय पक्ष ने आपसी सहमति से निवेदन किया की उक्त रास्ता प्रकरण का निस्तारण सहमति के आधार पर करने का आदेश फरमावें। पैरोकार राज द्वारा कहा गया की प्रार्थना पत्र आपसी सहमति के अनुसार स्वीकार किया जाता है तो सरकार को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2074–2077, नजरी नक्शा एवं अपसी सहमति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है उभय पक्ष आपसी सहमति से निस्तारण चाहते हैं। अतः सहमति प्रार्थना पत्र के आधार पर भूमि के [illegible] अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर किया जाता हैं। त[illegible]लदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणि[illegible] कि प्रार्थीयां द्वारा अप्रार्थीगण के हक में बैयनामा [illegible]करवाये जाने पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता का रिकार्ड में अंकन [illegible]र मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 18.08.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:37:55 IST
Reason: SelfAttested